**धीरेन्द्र बनाम प्रबंधक एन.आर. स्वीच एण्ड रेडियो सर्विसेज**

**दीवानी वाद संख्या 72/2012 (पुराना नम्बर) 02/2018 (नया नम्बर)**

**पीठासीन अधिकारी कमल कुमार आर जे एस**

**निर्णय दिनांक 28 .02. 2019**

## न्यायालय : अतिरिक्त वरिष्ट सिविल न्यायाधीश क्रम 06, कोटा राजस्थान।

**पीठासीन अधिकारी** : **कमल कुमार** आर.जे.एस.

दीवानी वाद संख्या : **02/2018** (नया नम्बर)
72/2012 (पुराना नम्बर)

01. धीरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, जाति राजपूत, आयु 24 वर्ष, निवासी 431–ई, आर0के0पुरम कोटा, राजस्थान .....वादी

बनाम

01. प्रबंधक, एन. आर. स्वीच एण्ड रेडियो सर्विसेज ई–15 रिको इलेक्ट्रोनिक काम्पलेक्स, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा, राजस्थान

.....प्रतिवादी

**वाद बाबत प्राप्त करने बकाया राशि कुल 17971 रूपये व ब्याज सहित**

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजेश जोशी।

**धीरेन्द्र बनाम प्रबंधक एन.आर. स्वीच एण्ड रेडियो सर्विसेज**

**दीवानी वाद संख्या 72/2012 (पुराना नम्बर) 02/2018 (नया नम्बर)**

**पीठासीन अधिकारी कमल कुमार आर जे एस**

**निर्णय दिनांक 28 .02. 2019**

2. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश गुप्ता।

:: **निर्णय** :: दिनांक : 28.02.2019.

01. वादी धीरेन्द्र की ओर से दावा विरूद्व प्रतिवादी के पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोटा के आदेश क्रमांक 18660—18663 दिनांक 19.11.2018 से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जिसका विचारण पूर्ण होने पर इस निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. वादी धीरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह आर0के0पुरम कोटा का स्थाई निवासी है तथा प्रतिवादी का कोटा में एक संस्थान है, जिसमें एंटीना टावर लगाने का कार्य होता है । प्रतिवादी के यहां एंटीना टावर लगाने हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी के संस्थान में वादी को दिनांक 01—01—2009 को नियुक्त किया गया । प्रतिवादी द्वारा उक्त कार्य के लिए वेतन इस प्रकार तय किया गया कि 2500 + 300 + 100 कुल 2900/—रूपये प्रतिमाह तय किया गया तथा कोटा से बाहर जहां भी टावर से संबंधित कार्य किया जावेगा, उसके लिए अलग से यात्रा भत्ता, खाना भत्ता व लोकल कन्वेंस अलग से देय था । वादी द्वारा प्रतिवादी के संस्थान में काफी लगन और मेहनत से कार्य किया गया । वादी के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत इत्यादि नहीं रही । उसके बाद भी प्रतिवादी द्वारा वादी के कार्य का वेतन समय—समय पर अदा नहीं किया जाता और वादी द्वारा कोटा से बाहर जाने का जो भी कार्य किया गया, उसे भी बिना किसी शिकायत के बखूबी निभाया तथा वादी ने अपने कर्त्तव्यों का पालन काफी अच्छे ढंग से करने के पश्चात् भी

प्रतिवादी द्वारा समय–समय पर वेतन नहीं दिया गया और कोटा से बाहर आने जाने का खर्चा स्वयं प्रतिवादी द्वारा खर्च किया जाता तथा बाहर से आने के पश्चात आने–जाने में हुए खर्चो के बिल पास नहीं करते तथा पूरे माह मेहनत करने पर भी प्रतिवादी द्वारा वादी को वेतन नहीं दिये जाने के कारण वादी ने प्रतिवादी के संस्थान में कार्य करने से इंकार कर दिया । वादी द्वारा प्रतिवादी के यहां किये गये कार्य की बकाया वेतन राशि व आने जाने का बाहर का खर्चे की मांग की जो प्रतिवादी पर बकाया निकलती है, जो इस प्रकार है :–

(1) माह फरवरी 2009 दिनांक 23, 24, 25, 2009 रूपये डी.ए. 300/–

(2) विजयवाड़ा से कोटा आने का कंवेंस ट्रेवलिंग खर्चा 535/–

(3) दिनांक 06–04–09 से 12–04–09 तक 07 दिन का डी.ए.700/–

(4) दिनांक 27–04–09 से 31–05–09 तक 35 दिन का डी.ए. 3500/–

(5) दिनांक 15.06.09 से 21.06.09 तक 07 दिन बैंगलोर का डी.ए. 700/–

(6) 05 जुलाई से 09 जुलाई तक बैंगलोर का डी.ए.500/–

(7) 18 अगस्त से 31 अगस्त तक 14 दिन कालीकट का खर्चा 1400/–

(8) कालीकट से कोटा आने का ट्रेवलिंग खर्चा 536/–

(9) जुलाई व अगस्त दो माह का वेतन 5000/– कुल 13171/–

03. इस प्रकार प्रतिवादी के संस्थान में वादी का आने जाने का खर्चा व डी.ए. खर्चा दो माह का वेतन वादी ने कई बार मांगा तो प्रतिवादी टालमटोल करने लगा तथा वेतन राशि अदा नहीं करने के कारण वादी ने प्रतिवादी के संस्थान से दिनांक 01–09–2009 सेवा करने से इंकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया तथा बकाया राशि की प्रतिवादी से मांग की तो प्रतिवादी द्व

ारा दो बार अलग–अलग दिनांक को मीटिंग रखी गई तथा एक बार की मीटिंग में 5600/–रूपये और दूसरी बार की मीटिंग में 7000/–रूपये देने का आश्वासन देने का समझौता प्रस्ताव रखा गया । जिस पर वादी ने समझौता राशि लेने से इंकार कर दिया तो प्रतिवादी ने वादी को यह कहकर निकाल दिया कि अब कोई राशि बकाया नहीं मिलेगी तुम्हारी मर्जी हो जो करो । प्रतिवादी द्वारा कार्य पर लिये जाते वक्त पी.एफ. खाते में भी 300/–रूपये प्रतिमाह वेतन से तथा 300/–रूपये संस्थान के द्वारा पीएफ में राशि जमा कराई गई । जिसका भी जनवरी से अगस्त तक 08 माह का पीएफ राशि 600/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 4800/–रूपये बनते हैं, किन्तु वादी द्वारा पीएफ विभाग में जानकारी लेने पर पता चला कि प्रतिवादी ने पीएफ के नाम पर वेतन में से राशि को काटा तथा पीएफ का खाता भी नहीं खुलवाया गया । इस प्रकार वादी के प्रतिवादी पर 13171/–रूपये वेतन भत्ते के तथा पीएफ राशि 4800/–रूपये प्रतिवादी से वादी द्वारा काफी तलब तकाजे करने के पश्चात भी अदा नहीं किये गये तथा वादी के वेतन व पीएफ की राशि को हडप कर लिया । वादी द्वारा यह भी अंकित किया गया कि उसने एक विधिक सूचना पत्र दिनांक 18–11–09 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया, जो प्रतिवादी को प्राप्त हो जाने के बाद भी प्रतिवादी ने वादी को उसके संस्थान में बुलाया और कहा कि 7000/–रूपये में समझौता करना है तो कर लो अन्यथा किसी भी अदालत में चले जाओ । इस कारण वादी ने स्थाई लोक अदालत कोटा के समक्ष बकाया राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा यह कहकर जवाब प्रस्तुत किया कि वादी 6328/–रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है तथा किसी भी समय

6328/—रूपये संस्थान में कार्य दिवस पर आकर प्राप्त कर सकता है । वादी स्थाई लोक अदालत में कई बार उपस्थित हुआ लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ । इस कारण स्थाई लोक अदालत द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि प्रतिवादी, वादी द्वारा चाही गई राशि अदा करने में सहमत नहीं है, इसलिए वादी सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है तथा वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्णय की तिथि को समयावधि मियाद में समायोजित किया जावे ।

04. आदेश की दिनांक 03—05—2012 को प्रतिवादी स्थाई लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और स्थाई लोक अदालत द्वारा निर्णय पारित किये जाने से प्रतिवादी द्वारा वादी को बकाया राशि अदा नहीं किये जाने के कारण वादी के पास न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रहा । न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का अधिकार है । वादपत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है । उसका यह प्रथम वाद है।

05. इस प्रकार वादपत्र के अंत में यह निवेदन किया गया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध बकाया वेतन, डी.ए. व पी.एफ. की राशि कुल 17971/—रूपये अदम अदायगी तक ब्याज सहित वसूल किये जाने के निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । इस प्रकार वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया । वादपत्र के साथ वादी के द्वारा अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

06. वादपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिवादी को नियमानुसार तलब किया गया, जिसने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाबदावा इस

आशय का प्रस्तुत किया कि उसे वादपत्र का पैरा नंबर–1 स्वीकार है अर्थात वादी आर0के0पुरम कोटा का स्थाई निवासी है तथा प्रतिवादी संस्थान एंटीना टावर लगाने का काम करता है, जिसने वादी को दिनांक 01–01–2009 को अपने संस्थान में नियुक्त किया था तथा वादपत्र में शेष चरणों को अस्वीकार करते हुए यह अंकित किया गया कि वादी को प्रतिवादी के यहां 2500/–रूपये प्रतिमाह के वेतन पर नियोजित किया था तथा 100/–रूपये कोटा से बाहर कार्य पर जाने पर वेतन के अतिरिक्त देय था । प्रतिवादी ने यह भी अंकित किया कि वादी को समय–समय पर वेतन दिया जाता था तथा बाहर जाने की अतिरिक्त राशि दी जाती थी । वादी के अधिवक्ता द्वारा दिया गया नोटिस उसे प्राप्त हुआ, जिसका उसने जवाब नहीं दिया । वादी द्वारा लोक अदालत में भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था । प्रार्थी का प्रार्थनापत्र लोक अदालत द्वारा निरस्त कर दिया गया है । इसलिए वादी कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है न ही उसने उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील, निगरानी की है । वादी वादपत्र में वर्णित राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । प्रस्तुत वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है। वाद विषय न्यायालय वेतन भुगतान प्राधिकारी, कोटा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वेतन भुगतान अधिनियम होने के कारण इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार नहीं है तथा न्यायालय से संबंधित वाद अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वादी द्वारा लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर दिये जाने से इस न्यायालय के समक्ष यह वाद पोषणीय नहीं है ।

07. विशेष कथन में अंकित किया गया है कि वादी का वाद मिसकंसीव्ड एवं दुर्भाविक है। वादी बिना प्रतिवादी को सूचना दिये ड्यूटी पर

उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावश्यक रूप से यह वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी, वादी से एक माह का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी से अपने काम में आने वाले टूल्स (औजार) का एक किट प्राप्त किया था, जो वादी ने प्रतिवादी को नहीं लौटाया है। तद्नुसार वादी से टूल किट की कीमत प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार वादपत्र को सव्यय खारिज करने का निवेदन किया गया ।

08. उभयपक्षों के उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये –

1– क्या वादी, प्रतिवादी से राशि 17971/–रूपये (सत्तरह हजार नौ सौ इकहत्तर रूपये) प्राप्त करने का अधिकारी है ?

–वादी

2–क्या वादी के वाद का न्यायालय को श्रवणाधिकार बाधित है ?

–प्रतिवादी

3–अनुतोष ?

4–आया वाद अवधि बाधित है ?

–प्रतिवादी

09. उक्त विवाद्यकों के पश्चात वादी की ओर से स्वयं वादी धीरेन्द्र सिंह को बतौर पी0ड0–1 परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 सत्यापित प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण की आदेशिका, प्रदर्श–2 प्रार्थनापत्र स्थाई लोक अदालत की सत्यापित प्रतिलिपि, प्रदर्श–3 जवाब प्रार्थनापत्र, प्रदर्श–4 नोटिस रसीद असल, प्रदर्श–5 एडी असल, प्रदर्श–6

रसीद असल, प्रदर्श–7 नोटिस असल, प्रदर्श–8 पत्र असल जो उसके द्वारा दिया गया, प्रदर्श–9 किट संभलाने बाबत असल को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

10. प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई तथा दिनांक 24–01–2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर, पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई ।

10. प्रकरण में बहस अंतिम उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है –

**<u>विवाद्यक संख्या–1</u>**

11. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है जिसके संदर्भ में स्वयं वादी धीरेन्द्र सिंह पी0ड0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कहा है कि वह आर0के0पुरम कोटा का निवासी है तथा प्रतिवादी का कोटा में एक संस्थान है, जिसमें एंटीना टावर लगाने का कार्य होता है। प्रतिवादी के यहां एंटीना टावर लगाने हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी के संस्थान में उसको दिनांक 01–01–2009 को नियुक्त किया गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त कार्य के लिए वेतन इस प्रकार तय किया गया कि 2500 + 300 + 100 कुल 2900/–रूपये प्रतिमाह तय किया गया तथा कोटा से बाहर जहां भी टावर से संबंधित कार्य किया जावेगा, उसके लिए अलग से यात्रा भत्ता, खाना भत्ता व लोकल कन्वेंस अलग से देय था। उसके द्वारा प्रतिवादी के संस्थान में काफी लगन और मेहनत से कार्य किया गया। उसके विरूद्ध प्रतिवादी की

ओर से कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत इत्यादि नहीं रही। उसके बाद भी प्रतिवादी द्वारा उसके कार्य का वेतन समय–समय पर अदा नहीं किया जाता और वादी द्वारा कोटा से बाहर जाने का जो भी कार्य किया गया, उसे भी बिना किसी शिकायत के बखूबी निभाया तथा उसने अपने कर्त्तव्यों का पालन काफी अच्छे ढंग से करने के पश्चात् भी प्रतिवादी द्वारा समय–समय पर वेतन नहीं दिया गया और कोटा से बाहर आने जाने का खर्चा स्वयं प्रतिवादी द्वारा खर्च किया जाता तथा बाहर से आने के पश्चात आने–जाने में हुए खर्चो के बिल पास नहीं करते तथा पूरे माह मेहनत करने पर भी प्रतिवादी द्वारा उसको वेतन नहीं दिये जाने के कारण वादी ने प्रतिवादी के संस्थान में कार्य करने से इंकार कर दिया। उसके द्वारा प्रतिवादी के यहां किये गये कार्य की बकाया वेतन राशि व आने जाने का बाहर का खर्चे की मांग की जो प्रतिवादी पर बकाया निकलती है, जो इस प्रकार है :–

(1) माह फरवरी 2009 दिनांक 23, 24, 25, 2009 रूपये डी.ए. 300/–

(2) विजयवाड़ा से कोटा आने का कंवेंस ट्रेवलिंग खर्चा 535/–

(3) दिनांक 06–04–09 से 12–04–09 तक 07 दिन का डी.ए.700/–

(4) दिनांक 27–04–09 से 31–05–09 तक 35 दिन का डी.ए. 3500/–

(5) दिनांक 15.06.09 से 21.06.09 तक 07 दिन बैंगलोर का डी.ए. 700/–

(6) 05 जुलाई से 09 जुलाई तक बैंगलोर का डी.ए.500/–

(7) 18 अगस्त से 31 अगस्त तक 14 दिन कालीकट का खर्चा 1400/–

(8) कालीकट से कोटा आने का ट्रेवलिंग खर्चा 536/–

(9) जुलाई व अगस्त दो माह का वेतन 5000/– कुल 13171/–

12. गवाह ने यह भी कहा कि प्रतिवादी के संस्थान में उसके आने जाने का खर्चा व डी.ए. खर्चा दो माह का वेतन उसने कई बार मांगा तो प्रतिवादी टालमटोल करने लगा तथा वेतन राशि अदा नहीं करने के कारण उसने प्रतिवादी के संस्थान से दिनांक 01—09—2009 सेवा करने से इंकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया तथा बकाया राशि की प्रतिवादी से मांग की तो प्रतिवादी द्वारा दो बार अलग—अलग दिनांक को मीटिंग रखी गई तथा एक बार की मीटिंग में 5600/—रूपये और दूसरी बार की मीटिंग में 7000/—रूपये देने का आश्वासन देने का समझौता प्रस्ताव रखा गया। जिस पर उसने समझौता राशि लेने से इंकार कर दिया तो प्रतिवादी ने उसको यह कहकर निकाल दिया कि अब कोई राशि बकाया नहीं मिलेगी तुम्हारी मर्जी हो जो करो। प्रतिवादी द्वारा कार्य पर लिये जाते वक्त पी.एफ. खाते में भी 300/—रूपये प्रतिमाह वेतन से तथा 300/—रूपये संस्थान के द्वारा पीएफ में राशि जमा कराई गई। जिसका भी जनवरी से अगस्त तक 08 माह का पीएफ राशि 600/—रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 4800/—रूपये बनते हैं, किन्तु वादी द्वारा पीएफ विभाग में जानकारी लेने पर पता चला कि प्रतिवादी ने पीएफ के नाम पर वेतन में से राशि को काटा तथा पीएफ का खाता भी नहीं खुलवाया गया। इस प्रकार उसके प्रतिवादी पर 13171/—रूपये वेतन भत्ते के तथा पीएफ राशि 4800/—रूपये प्रतिवादी से वादी द्वारा काफी तलब तकाजे करने के पश्चात भी अदा नहीं किये गये तथा उसके वेतन व पीएफ की राशि को हडप कर लिया। वादी द्वारा यह भी अंकित किया गया कि उसने एक विधिक सूचना पत्र दिनांक 18—11—09 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया, जो प्रतिवादी को प्राप्त हो जाने के बाद भी प्रतिवादी ने उसको

उसके संस्थान में बुलाया और कहा कि 7000/—रूपये में समझौता करना है तो कर लो अन्यथा किसी भी अदालत में चले जाओ। इस कारण उसने स्थाई लोक अदालत कोटा के समक्ष बकाया राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा यह कहकर जवाब प्रस्तुत किया कि वादी 6328/—रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है तथा किसी भी समय 6328/—रूपये संस्थान में कार्य दिवस पर आकर प्राप्त कर सकता है। उसने स्थाई लोक अदालत में कई बार उपस्थित हुआ लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण स्थाई लोक अदालत द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि प्रतिवादी, उसके द्वारा चाही गई राशि अदा करने में सहमत नहीं है।

13. इस प्रकार वादपत्र के अंत में यह निवेदन किया गया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध बकाया वेतन, डी.ए. व पी.एफ. की राशि कुल 17971/—रूपये अदम अदायगी तक ब्याज सहित वसूल किये जाने का अधिकारी है।

14. जिरह द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी में इस बात को सही बताया गया कि उसे प्रतिवादी की ओर से कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था तथा उसके पास बताये गये वेतन 2500+300+100 कुल 2900/—रूपये का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। गवाह ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका वेतन 2500+100 ही था। उसने प्रतिवादी के यहां 31 अगस्त 2009 तक कार्य किया था। उसे प्रतिवादी की तरफ से टूल किट दिया गया था। टूल किट में काम में आने वाले औजार होते हैं । टूल किट की कीमत 2000/—रूपये के लगभग होती है। उसे प्रतिवादी की ओर से वेतन के अतिरिक्त यात्रा भत्ता, खाना भत्ता एवं लोकल कन्वेंस देय हो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। गवाह

ने इस बात को सही बताया कि वह कब–कब बाहर गया तथा किस–किस काम से गया, ऐसा कोई विवरण वादपत्र तथा शपथ पत्र बयान में अभिलिखित नहीं किया है। शपथपत्र में 01 लगायत 09 बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई विवरण कहां–कहां जाने का और कितना–कितना लिखित नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया कि शपथपत्र पर बयान में ए से बी भाग में जो राशि उसने प्रतिवादी की ओर बकाया बताई है, उससे संबंधित कोई दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। गवाह ने इस बात को भी सही बताया कि शपथपत्र में ए से बी भाग में वर्णित बकाया राशि के संबंध में उसके द्वारा प्रतिवादी को कभी भी पत्र द्वारा, मेल द्वारा अथवा अन्य किसी तरीके से सूचना नहीं दी गई थी। वकील साहब से नोटिस दिलवाया था। वह जो 02 माह का वेतन बकाया बता रहा हैं, वह जुलाई अगस्त 2009 का है । गवाह ने इस इस बात को गलत बताया कि प्रतिवादी के यहां जुलाई अगस्त में काम नहीं हो, इस कारण से काम नहीं किया हो । गवाह ने खुद कहा कि जुलाई अगस्त में कंपनी की तरफ से कालीकट टूर पर था तथा वह कालीकट टूर से कौनसी तारीख महीने में आया, उसे याद नहीं है। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि वेतन बैंक एकाउन्ट में आता हो, बल्कि केश देते थे। प्रदर्श डी–1 उसे द्वारा प्रतिवादी के यहां दिया गया पत्र दिनांक 13–8–2009 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त पत्र उसके द्वारा हस्तलिखित है। गवाह ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र व शपथपत्र में वर्णित राशि से संबंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज न्यायालय की पत्रावली में पेश नहीं किया गया तथा इस बात को भी स्वीकार किया कि वादपत्र एवं शपथपत्र में

उक्त वर्णित बकाया राशि कहां–कहां जाने संबंधी व कब–कब जाने संबंधी वर्णित नहीं की है तथा इस बात को भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी की ओर से बताई गई बकाया राशि 17971/–रूपये मौखिक रूप से राशि जोडकर वर्णित की गई है। उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया तथा इस बात को गवाह ने गलत बताया कि उसे प्रतिवादी से कोई राशि बकाया नहीं लेनी हो और गलत आधार पर दावा पेश किया हो।

15. इस प्रकार उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष बतौर वादी परीक्षित हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह प्रतिवादी के यहां काम करता था, उसके और प्रतिवादी के मध्य जो वेतन तय हुआ था उसके अतिरिक्त जब कभी वादी प्रतिवादी के कार्य से कोटा से बाहर जाता था, उसे आने–जाने का तथा अपने खाना–खुराक का पैसा अतिरिक्त देय होता था, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उसे जुलाई, अगस्त 2009 का वेतन और उक्त अवधि के दौरान उसने जो बाहर जाकर काम किया उसका टीए, डीए नहीं दिया। गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई, उसमें प्रदर्श–1 माननीय विधिक सेवा प्राधिकरण की आदेशिका, प्रदर्श–2 उक्त अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, प्रदर्श–3 प्रतिवादी का जवाब है, प्रदर्श–4, 5, 6 व 7 नोटिस और उसको भेजने की डाक विभाग की रसीद व प्राप्ति रसीद है, प्रदर्श–8 वादी द्वारा प्रतिवादी को लिखा गया पत्र है कि वह उसकी कंपनी में पिछले 08 माह से कार्यरत है। कंपनी में उसने अपनी कार्य कुशलता पूरे लगन तथा उत्साह से दर्शाई है, जिससे कंपनी को कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं रही है, किन्तु कुछ समय से उसे पैसे का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण उसे आर्थिक हानि उठानी पडी है तथा कई

परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उसे विवश होकर अपनी सेवा से त्यागपत्र देना पड रहा है। अतः कृपा करके उसका त्यागपत्र स्वीकार कर उसे सेवा से मुक्त करने का कष्ट करे। उक्त प्रदर्श–8 वादी द्वारा प्रतिवादी को भेजा गया त्यागपत्र है जो दिनांक 01–09–09 का है।

16. इस प्रकार उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की रोशनी में यदि विवाद्यक संख्या–1 को साबित करने के संदर्भ में जो साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत की गई उसका समग्र रूप से अध्ययन किया जाये तो न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर आया है कि प्रतिवादी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वादी उसके यहां पर कार्य करता था तथा स्वयं वादी ने 2500+100 कुल 2600 रूपये अपना प्रतिमाह वेतन होना स्वीकार किया, लेकिन जो बकाया राशि तथा टीए, डीए की राशि जो जोडकर उसने प्रतिवादी के विरूद्ध बकाया बताई है, उसके संदर्भ में न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से लैशमात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जो कि प्रकरण में स्वयं वादी ने स्वीकार किया है कि इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा वादी प्रतिवादी के कार्य से किस–किस दिनांक को कहां–कहां गया, उसने क्या–क्या काम किया, इस संदर्भ में उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

17. इस प्रकार न्यायालय इस मत का है कि सर्वप्रथम तो वादी को इस आशय के दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा उसे लिखित में यह आदेश दिया गया हो कि वह कोटा से बाहर उक्त विशिष्ट स्थान पर जाकर एंटीना टावर लगाये, जिसकी पालना में वह कंपनी की अनुमति से उक्त कार्य के संपादन हेतु वहां किस साधन से गया, इस

बाबत दस्तावेजी साक्ष्य होनी चाहिए थी तथा उस स्थान पर पहुंचकर उसने उक्त कार्य संपादित किया और उसे वहां कितना समय लगा और उक्त कार्य की पूर्णता की सूचना उसने प्रतिवादी को दी। इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य होनी चाहिए थी। इस संदर्भ में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। स्वयं वादी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने वेतन की जो बकाया राशि बताई है वह मौखिक रूप से बताई है, कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं नहीं की है। वादी यह भी कहता है कि जुलाई अगस्त 2009 की राशि प्रतिवादी के यहां बकाया है तथा प्रदर्श–8 उसने 01–09–09 को पेश किया, जिसमें उसने अपना त्यागपत्र प्रतिवादी कंपनी को प्रस्तुत किया तथा जो प्रदर्श–9 उसने प्रस्तुत किया है और यह कहा है कि उसने टूलकिट दिनांक 10–07–09 को कंपनी को संभला दिया था, जिसकी रसीद से यही समक्ष आता है कि उसने दिनांक 10–07–09 को ही कंपनी के द्वारा उसे कार्य करने के लिए जो टूलकिट दिया गया था, वह उसने कंपनी को संभला दिया तथा जो प्रदर्श डी–1 प्रतिवादी ने वादी से प्रदर्शित करवाया, जिसे वादी ने स्वीकार किया तथा उसकी लिखावट भी अपनी होना जाहिर किया जिसमें अंकित है कि वह दिनांक 01–01–09 से टेक्नेशियन के पद पर कार्यरत है और थोडे समय के लिए कंपनी में काम नहीं होने की वजह से थोडे दिन के लिए छुट्टी पर चला गया था, इसलिए आपसे निवेदन है कि उसे दुबारा कंपनी में लिया जाए। आपका अति आभारी रहेगा। उक्त पत्र दिनांक 13–08–09 का है तथा टूल किट संभलाने का जो पृष्ठांकन है वह दिनांक 10–07–09 का है। उसके लगभग एक माह और 06 दिन बाद उक्त प्रदर्श डी–1 वादी द्वारा प्रतिवादी को प्रस्तुत किया गया।

18. इस प्रकार उक्त साक्ष्य की रोशनी में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो यह समक्ष आता है कि किस आधार पर वाद पत्र में वादी यह कहता है कि उसका जुलाई और अगस्त का वेतन बकाया है, ऐसी दशा में उसने स्वयं दिनांक 10–07–09 को जब टूल किट प्रतिवादी को संभला दिया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित है कि दिनांक 10–07–09 को ही वादी ने प्रतिवादी की नौकरी छोड दी थी। ऐसी दशा में जब उसने जुलाई 09 में टूल किट संभला दिया तथा उसने एक माह 06 दिन बाद दिनांक 13–08–09 को पुनः स्वयं को नौकरी पर रखे जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो वह यह किस आधार पर कहता है कि उसका जुलाई और अगस्त का वेतन प्रतिवादी द्वारा रोक दिया गया और नहीं दिया गया। वादी अपनी जिरह में प्रतिवादी के इस सुझाव को गलत बताता है कि वह प्रतिवादी के यहां जुलाई अगस्त में काम नहीं करता हो बल्कि उसने यह कहा है कि जुलाई में काम के लिए वह कालीकट गया था लेकिन दिनांक 10–07–2009 को उसने टूल किट प्रतिवादी को संभला दिया तथा दिनांक 13–08–09 को खुद कहा कि कंपनी में काम नहीं होने के कारण वह थोडे समय के लिए छुट्टी पर चला गया था। अतः उसे पुनः नौकरी पर रखा जाये। ऐसी दशा में वह दो माह का वेतन जो प्रतिवादी से प्राप्त करना चाहता है, इस संदर्भ में वादी यह तथ्य स्थापित नहीं कर पाया कि वह जुलाई अगस्त 2009 दो महीने तक प्रतिवादी के यहां कार्य पर रहा हो और उसने प्रतिवादी कंपनी की ओर से एंटीना लगाने के लिए कालीकट में जाकर काम किया हो। ऐसी दशा में चूंकि वादी द्वारा यह तथ्य न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं हो पाया है कि वादी प्रतिवादी से 17971/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त

विवाद्यक विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी तय किया जाता है।

**विवाद्यक संख्या–2**

19. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है जिसने मात्र अपने जवाबदावे में यह अंकित किया है कि इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में प्रतिवादी की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । उल्लेखनीय है कि वादी का वाद 17971/–रूपये वसूल करने का है तथा जब यह दावा न्यायालय कनिष्ठ खण्ड क्रम–1 के समक्ष प्रस्तुत हुआ उस समय सम्मानीय न्यायालय को 25 हजार रूपये के मामले सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त था । ऐसी दशा में उक्त रकम की वसूली का दावा जो कि मनी सूट की श्रेणी में आता है, उसे सुनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है । अतः उक्त विवाद्यक विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय किया जाता है।

**विवाद्यक संख्या–4**

20. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने वादपत्र में मात्र यह कथन किया गया है कि वाद अवधि मध्य नहीं है । इस संदर्भ में प्रतिवादी अधिवक्ता का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि वर्ष 2009 में जो राशि बकाया वादी बताता है, उसकी वसूली के लिए वर्ष 2012 में जो दावा प्रस्तुत किया वह अवधि मध्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि वादी अधिवक्ता का यह तर्क है कि उनके द्वारा पहले स्थाई लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त अदालत में कार्यवाही चली । वहां समझौता नहीं हो पाया, इसी कारण से उक्त कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात इस न्यायालय में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त तर्को की रोशनी में सर्वप्रथम तो प्रतिवादी द्वारा उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त विवाद्यक की रोशनी में प्रतिवादी यह कहना चाहता है कि वादी का दावा अवधि मध्य नहीं है। लेकिन न्यायालय इस मत का है कि विधि अनुसार पक्षकारों के मध्य यदि किसी सक्षम न्यायालय में कोई विधिक कार्यवाही लंबित रहती है तो जितने समय तक वह कार्यवाही लंबित रहती है उतने समय का अपवर्जन मर्यादा की अवधि में से कर दिया जाता है । इस संदर्भ में परिसीमा अधिनियम के अनुसार यदि पक्षकारों के मध्य किसी न्यायालय में किसी विषय वस्तु के संदर्भ में यदि कोई कार्यवाही सद्भावनापूर्वक चलाई जाती है तो ऐसी कार्यवाही जब तक उक्त न्यायालय में चलती है अर्थात जितने भी समय तक कार्यवाही चलती है उक्त कार्यवाही में लगे समय का मर्यादा अवधि की गणना करने में अपवर्जन कर दिया जाता है। ऐसी दशा में न्यायालय के समक्ष जो वाद वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, वह अंदर मियाद प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्त विवाद्यक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय किया जाता है।

**अनुतोष –**

21. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार चूंकि वादी अपने द्वारा साबित किये जाने वाले विवाद्यक को साबित करने में असफल हुआ है। अतः वह प्रकरण में वांछित अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

**:: आदेश ::**

22. इस प्रकार उक्त विवेचन के पश्चात् न्यायालय इस मत का है कि वादी धीरेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, जाति राजपूत, आयु 24 वर्ष, निवासी 431–ई, आर0के0पुरम कोटा द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत प्राप्त करने बकाया राशि कुल 17971/– व ब्याज सहित अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। वाद खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार हो।

( कमल कुमार )
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
संख्या–06,कोटा, (राजस्थान)

23. निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( कमल कुमार )
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
संख्या–06,कोटा, (राजस्थान)